तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
13-2-26	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अजीत लोढा, अभिभाषक प्रार्थीगण श्री अभिषेक कौशिक, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** 1. यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम'1956) की धारा 84 के तहत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा अपील संख्या 49/04 पारित निर्णय दिनांक 31–1–06 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त राजकीय भूमि पर कब्जा (अतिक्रमण) किये जाने के आधार पर उप तहसीलदार, गिर्वा ने आदेश दिनांक 18–2–03 से मौके से बेदखल करने एवं शास्ती से दण्डित करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलेक्टर उदयपुर के यहां पेश की गई जिसे जिला कलेक्टर उदयपुर ने आदेश दिनांक 4–10–04 से खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर ने आलोच्य आदेश दिनांक 31–1–06 से खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत सापेटिया द्वारा जारी किये गये पट्टे की छायाप्रति एवं मौका पर्चा पंचायत के वार्ड पंच के हस्ताक्षरशुदा दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये विस्तृत जवाब पेश किया था किंतु तहसीलदार ने उक्त दस्तावेजों को नजरअदांज करते हुये प्रार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुये बेदखली एवं शास्ती के आदेश पारित करने में त्रुटि की है। विवादित आराजी रास्ते की भूमि होना कहकर अतिक्रमण होना बताया जबकि उक्त आराजी का प्रार्थीगण के पास पट्टा है। ग्राम पंचायत के पट्टे को दरकिनार करते हुये गलत आदेश दिया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विवादित आराजी को गैर मुमकिन रास्ता माना है जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। राजनैनिक द्वेषता के कारण प्रार्थीगण के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाहीं की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	3. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है ऐसी स्थिति में उसे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। 4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। 5. पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त राजकीय भूमि पर कब्जा (अतिक्रमण) किये जाने के आधार पर तहसीलदार गिर्वा ने मौके से बेदखल कर शास्ति की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया। जिसकी प्रथम अपील जिला कलेक्टर उदयपुर एवं द्वितीय अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर ने खारिज की है। प्रार्थीगण विवादित आराजी पर कब्जा ग्राम पंचायत के पट्टे के आधार पर किया जाना स्वीकार करते है किंतु प्रस्तुत पट्टे के अवलोकन से यह स्पष्ट नही होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा खसरा नंबर 95 की भूमि के संबंध में है जबकि खसरा नंबर 95 सरकारी भूमि होकर किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। पट्टे के पृष्ट भाग पर अंकित चारों दिशाओं के अनुसार भी पट्टा अतिक्रमण की गई भूमि का होना अधीनस्थ न्यायालयों ने नहीं माना। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ते की होना स्पष्ट है तथा गैर मुमकिन रास्ते के नियमन का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में उप तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाहीं करते हुये अतिक्रमी को बेदखल करने एवं शास्ती का विधिसम्मत् आदेश पारित किया है जिसका समर्थन दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें प्रथम दृष्ट्या दिखाई देने वाली तथ्य एवं विधि संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जावे। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। 6. परिणामतः हस्तगत् निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	